राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– एफ.2(ग)एसीपी / 1994– III / 59 दिनांक :– 30-4-25

आदेश संख्याः– 06 / 2025–26

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी. / रूल्स / 2017 दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं एफ. 14(88)एफ.डी. / रूल्स / 2008 दिनांक 12.01.2018 के अनुसरण में निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर प्रथम नियुक्ति दिनांक से 27 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 6 में अंकित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे मैट्रिक्स में एल -13 स्वीकृत की जाती हैं। राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के अन्तर्गत वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)वित्त / नियम / 2017 पार्ट दिनांक 06.10.2023 द्वारा Modified Assured Career Progression Scheme (एम.ए.सी.पी) योजना के प्रावधान लागू किये जाने के अनुसरण में कार्मिकों द्वारा नियम 14 के बिन्दु संख्या 6 के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष को दिनांक 01.04.2023 का एम.ए.सी.पी हेतु विकल्प दिये जाने के फलस्वरूप इन्हें कॉलम संख्या 07 के अनुसार दिनांक 01.04.2023 से एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत पे मैट्रिक्स में लेवल एल–14 स्वीकृत की जाती है।

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट / बैच नं.	लिंक नम्बर	कनिष्ठ लेखाकार / समान लेवल के अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	तृतीय एसीपी देय तिथि	तृतीय एमएसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कान्ति चन्द शर्मा	100/94	2686	19.02.1996	19.02.2023	01.04.2023	
2.	हमीद अली कुरेशी	128/88	2583	16.04.1990	16.04.2017	01.04.2023	

उपरोक्त तालिका में क्रम संख्या 02 पर अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I की वांछित वार्षिक कार्य–मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश प.2 (17) वित्त / राजस्व / 08 दिनांक 27.07.12 द्वारा स्पष्टीकरण के आधार पर गत 9 वर्षों की एपीएआर में से 7 वर्षों की एपीएआर एवं एमएसीपी हेतु वित्त विभाग की अधिसुचना दिनांक 06.10.2023 के आधार पर 11 वर्षों की एपीएआर में से 9 वर्षों की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर उक्त ए.सी.पी / एमएसीपी इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन मे प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृति के बारे मे निर्णय लिया जाकर तदानुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 30.10.2017 के पैरा 14(2) एवं आदेश दिनांक 09.12.2017 व अधिसूचना दिनांक 06.10.2023 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें–

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) एवं तृतीय एमएसीपी स्वीकृति नहीं की गई है।
3. कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित आश्वासित कैरियर प्रगति देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरूद्ध फौजदारी / विभागीय जांच लंबित अथवा प्रस्तावित 1नहीं है।
5. गत 7 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही है।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिकों की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :– एफ.2(ग)एसीपी / 1994– III / 59 दिनांक :– 30-4-25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष...
2. सहायक निदेशक (एपीएआर) मुख्यालय।
3. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I...
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय मुख्यालय।
5. उपनिदेशक (एसीपी) विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
6. निजी पत्रावली हेतु मूल आवेदन पत्र / गार्ड फाईल / गोपनीय अनुभाग।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)